स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

HIRA
GODAWARI POWER & ISPAT

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

REF: GPIL/NSE & BSE /2021/4407

Date: 15.07.2021

To,

1. The Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), MUMBAI – 400051
NSE Symbol: GPIL

2. The Corporate Relation Department,
BSE Limited, Mumbai,
1st Floor, Rotunda Building,
Dalal Street, MUMBAI – 400 001
BSE Security Code: 532734

Dear Sirs,

SUB:PUBLICATION OF NOTICE REGARDING TRANSFER OF SHARES TO IEPF

We have published Notice for shareholders regarding transfer of shares and unclaimed dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF) in Hindi & English Newspapers on 11th July, 2021. Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours faithfully,
FOR, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Y.C. RAO
COMPANY SECRETARY
Encl: As above

Godawari Power & Ispat Ltd. Raipur (C.G.) GPIL

Godawari Power & Ispat Limited
An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company
CIN L27106CT1999PLC013756
Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082333, F: +91 771 4082234
Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082000, F: +91 771 4057601
www.godawaripowerispat.com, www.hiragroup.com

Published on Deshbandhu Newspaper On 11th July, 2021.

गुप्तांग पर डंडे से चोटें पहुंचाई गई। आयोग को प्राप्त सूचना

पुलिस के डीजीपी एवं कानपुर देहात के डीएम व एसएसपी

आरोपों/मामले में जांच कर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के

समक्ष तुरत फैक्स द्वारा या फिर ई-मेल द्वारा भेजने का निर्देश दिया है।

गहलोत ने पोखर में डूबने से चार बच्चों की मौत पर जताई संवेदना

जयपुर, 10 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली जिले के कैलादेवी क्षेत्र के मनोहरपुरा में पोखर में डूबने से चार बच्चों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि खेत में बने पोखर में डूबने से चार बच्चों की मृत्यु बेहद हृदयविदारक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता-पिता एवं परिजनों के साथ हैं, ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में सम्बल प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार शाम को बकरियां चराकर घर लौटते समय पोखर में नहाने उतरे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में उतरे तीनों बच्चों सहित चारों की डूबने से मौत हो गई। इनमें दो बच्चे सगे भाई थे। मृतकों में दो बालिका भी शामिल थी।

देश में कोरोना से एक दिन में 12 सौ से ज्यादा की मौत

नई दिल्ली, 10 जुलाई (एजेंसियां)। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के दैनिक मामलों में मामूली गिरावट रही, लेकिन इससे होने वाली मौतें दिल में दहशत पैदा कर रही है क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान इस जानलेवा विषाणु के कारण 1200 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इस बीच शुक्रवार को 30 लाख 55 हजार 802 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। देश में अब तक 37 करोड़ 20 लाख 47 हजार 24 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

■ अब तक 37 करोड़ 20 लाख 47 हजार 24 लोगों का हुआ टीकाकरण

HIRA HIRA FERRO ALLOYS

हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्य: 567 बी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, उरला, रायपुर, छत्तीसगढ़
कॉर्पोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
सीआईएन: U27101CT1984PLC005837, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601,
वेबसाइट: www.hiraferroalloys.com ईमेल: mohit.chande@hfal.in

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षो (2013-14) से लाभांश अदत्त है, एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई 2021 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियन 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.hiraferroalloys.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 07 अक्टूबर, 2021 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सक[illegible] [illegible]नी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो [illegible] प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जाये[illegible] ध्यान दें कि आई[illegible]पीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशो [illegible] में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्र[illegible] तो वे र[illegible] [illegible]जेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि[illegible], सी-101, 247 पा[illegible] [illegible]बीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: [illegible] [illegible] (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in and [illegible]linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशो का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in.पर उपलब्ध है।

कृते, हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड
हस्ता.
मोहित चान्दे, कंपनी सचिव

रायपुर, 10 जुलाइं, 2021

HIRA GODAWARI POWER & ISPAT

गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्य : 428/2, फेस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़
कार्पोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
सीआईएन: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057603,
वेबसाइट: www.godawaripowerispat.com ईमेल: yarra.rao@hiragroup.com

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षो (2013-14) अंतिम से लाभांश अदत्त है, एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के माध्यम से दिनांक 09 जुलाई 2021 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.godawaripowerispat.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वें दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 07 अक्टूबर, 2021 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशो के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: Tel No.: 1800 1020 878 and 022 - 4918 6270. ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशो का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in.पर उपलब्ध है।

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड
हस्ता.
वाय.सी.राव. कंपनी सचिव

रायपुर, 10 जुलाई, 2021